:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल RAS

मुकदमा नम्बर 47/2023

प्रस्तुत दिनांक 24.08.2023

फैसल दिनांक 30.07.2024

प्रकाश पिता कलजी रोत जाति मीणा निवासी नागरिया पंचेला तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर।

–वादी

बनाम

1 अरजी पिता नाथु रोत
2 भुरा पिता नाथु रोत
3 गणेश पिता नाथु रोत
4 कालु पिता काना रोत
5 सोहन पिता नगा रोत
6 कावा पिता विरजी रोत
7 वजा पिता नगा रोत जाति मीणा निवासी नागरिया पंचेला त. सीमलवाडा जिला डूँगरपुर।
8 श्री भुमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः–
अधिवक्ता वादीः– श्री श्रवण रावल।
अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री कपिल देव।
अधिवक्ता प्रतिवादी राज्य सरकार राजकीय पेरोकार।

::निर्णय::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा इस आशय का वाद इस न्यायालय मे पेश किया कि वादी खसरा नम्बर 1456/118 का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी मे निर्माण कार्य करने, अतिक्रमण करने आमादा है। फसल को नष्ट कर दिया है। तहसीलदार सीमलवाडा से सीमाकंन का आदेश भी कराया है। बोई हुई फसल नष्ट कर दी और खातेदारी आराजी में काश्त कार्य करने में रूकावट पैदा करते है। जान से खत्म करने धमकीयॉ दे रहे है एवं अन्य तथ्यों का उल्लेख अपने वाद में करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किए जाने का निवेदन किया है।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता कपिलदेव द्वारा वकालत नाम पेश किया। बावजूद कई अवसर दिए जाने तथा अंतिम अवसर पर दिए जाने पर भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया। जिस पर जवाब दावा बंद किया गया। प्रकरण मे जवाबदावा प्रस्तुत नही होने से वादी की ओर साक्ष्य प्रस्तुत की गई। वादी की ओर से वादी स्वयं, गवाह कावा, गोविन्द, चंदू के बयान प्रस्तुत हुए। वादी की ओर से जमाबंदी प्रदर्श एक को

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर

क्रमांकः— पी.ए./बैठक/2024/

प्रदर्शित करवाया गया। साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर प्रकरण में बहस समायत की गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस मे वाद मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए वादी के पक्ष मे वाद निर्णित किए जाने कथन किया गया। हमारे द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा इस बिन्दु को तय किया जाना है कि क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है? इस संबध में दस्तावेज प्रदर्श एक को देखे जाने पर यह सिद्ध तथ्य है कि वादी वाद ग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसमे काश्त करने का एक मात्र वादी को अधिकार प्राप्त है तथा प्रतिवादीगण का इस भूमि से कोई संबध हो, ऐसा कोई भी तथ्य रेकार्ड पर प्रस्तुत नही है और ना कोई जवाब दावा पेश हुआ है। इसलिए मेरे विनम्र मत में वादी भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा विवाद किया जा रहा है एवं काश्त मे रूकावट पैदा की जा रही है। ऐसी स्थिति मे वादी अपने पक्ष मे स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादी के वादग्रस्त आराजी में उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा ना तो स्वयं करे और ना ही अपने मित्र, एजेन्ट, ठेकदार से करावे। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे। निर्णय आदेश आज दिनांक 30.07.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राजस्थान)

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखंड अधिकारी श्री राकेश कुमार न्योल सीमलवाडा

प्रकरण सख्याः–47 / 2023

श्री प्रकाश बनाम श्री अरजी वगैरह

वाद अर्न्तगत धारा 188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जा.दी.

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरूः–श्री राकेश कुमार न्योल

व हाजरीः–
श्री श्रवण रावल मिनजानिब मुदई उपस्थित व श्री कपिल देव मिनजानिब मुदायलाह उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादी के वादग्रस्त आराजी में उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा ना तो स्वयं करे और ना ही अपने मित्र, एजेन्ट, ठेकदार से करावे।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 30.07.2024 को जारी की गई।

दस्तखत ....
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा ....
सीमलवाडा

मुदई	रूपया / पेसा	मुदायलाह	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत मेंहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेंहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner